

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1258
(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

निवेशक दीदी

1258. श्रीमती पूनमबेन माडम:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्री अभिमन्यु सेठी:

श्री हरीभाई पटेल:

श्रीमती डी.के. अरुणा:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निवेशक दीदी - चरण दो के उद्देश्यों और प्रमुख घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय जागरूकता को सुदृढ़ बनाने, पहुंच बढ़ाने और इंटरएक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पहल के तहत अब तक देशभर में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, कितने जागरूकता कार्यक्रम या शिविर आयोजित किए गए हैं;

(घ) क्या निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने वित्तीय शिक्षा और सेवाओं की अंतिम छोर तक सुपुर्दगी हेतु किसी संस्था और अन्य जमीनी स्तर के संगठनों के साथ साझेदारी की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और देशभर में "निवेशक दीदी" पहल के विस्तार के लिए भविष्य की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): निवेशक दीदी - चरण II पहल, जो 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुई, का उद्देश्य ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता बढ़ाना, जानकारीपूर्ण बचत और निवेश निर्णयों को बढ़ावा देना, वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित डिजिटल वित्तीय कार्यप्रणालियों को आगे बढ़ाना, समुदाय आधारित "महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए" शिक्षा मॉडल को अपनाना, घरेलू वित्तीय नियोजन को मजबूत करना और दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता और बैंकिंग पहुंच को बढ़ावा देना है।

(ख): इस चरण में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) वित्तीय जागरूकता को मजबूत करना: व्यापक वित्तीय जागरूकता सामग्री को अद्यतन किया गया है, जिसमें बचत, बजट, जिम्मेदार क्रेडिट उपयोग, डिजिटल वित्तीय सेवाएं, बीमा, निवेश और धोखाधड़ी की रोकथाम जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है।

(ii) आउटरीच विस्तार: इस कार्यक्रम ने ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पहुँच को काफी मजबूत किया है। ज्यादातर शिविर ऐसे इलाकों में आयोजित किए जाते हैं जहाँ बैंकिंग

सेवाएँ सीमित हैं या बिल्कुल नहीं हैं। शिविर आँगनवाड़ियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), पंचायत भवनों और केवल महिलाओं के सम्मेलनों में स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों की मदद से आयोजित किए जाते हैं। निवेशक दीर्घाँ घरों और मोहल्लों में भी जाती हैं और वित्तीय शिक्षा उनके घर-घर पहुँचाती हैं, खासकर उन इलाकों में जहाँ आवाजाही सीमित है।

iii) संवादात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल: ये मॉड्यूल सरल, आकर्षक और ग्रामीण परिवारों के लिए प्रासंगिक हैं। ये मॉड्यूल पारिवारिक बजट, बचत की आदतें, सुरक्षित डिजिटल भुगतान (यूपीआई सहित) और धोखाधड़ी की रोकथाम पर केंद्रित हैं। प्रशिक्षण में कथाकारिता, समूह कार्यकलाप, रोल-प्ले, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग पर प्रदर्शन और सहकर्मि शिक्षण जैसे सहभागी तरीकों का उपयोग किया जाता है।

(ग): वर्ष 2022-23 से 2025-26 (सितंबर, 2025 तक) की अवधि के लिए, आंध्र प्रदेश सहित देश में इस पहल के तहत अब तक आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों या शिविरों की संख्या का राज्यवार और केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

(घ) और (ङ): निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए "निवेशक दीदी" कार्यक्रम के अंतर्गत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ साझेदारी की थी। इस पहल की पहुँच और परिणामों को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित करने के लिए 7 अप्रैल, 2025 को आईपीपीबी के साथ निवेशक दीदी चरण II को फिर से लॉन्च किया गया है। निवेशक दीदी चरण II में देश भर की महिलाओं सहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी को लक्षित करते हुए जिम्मेदार निवेश, धोखाधड़ी रोकथाम और डिजिटल बैंकिंग पर 4000 वित्तीय साक्षरता शिविरों की परिकल्पना करता है। लगभग 40,000 महिला डाक कर्मचारियों को सामुदायिक वित्तीय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह पहल जमीनी स्तर पर वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए डाक कर्मचारियों की व्यापक ग्रामीण उपस्थिति का लाभ उठाती है।

आयोजित निवेशक दीदी जागरूकता कार्यक्रमों/शिविरों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण
[2022-23 से 2025-26 (सितंबर, 2025 तक)]

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23 (चरण- I)	2023-24 (चरण- I)	2025-26 (सितंबर 2025 तक) (चरण- II)	आयोजित शिविरों की संख्या (चरण- I और II)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	3	3
2.	आंध्र प्रदेश	-	50	113	163
3.	असम	-	7	-	7
4.	बिहार	-	19	-	19
5.	चंडीगढ़	-	1	-	1
6.	छत्तीसगढ़	-	21	32	53
7.	दिल्ली	-	11	4	15
8.	गुजरात	-	29	4	33
9.	हरियाणा	-	54	-	54
10.	हिमाचल प्रदेश	-	25	5	30
11.	जम्मू और कश्मीर	2	11	5	18
12.	झारखंड	-	8	16	24
13.	कर्नाटक	-	67	74	141
14.	केरल	-	35	13	48
15.	मध्य प्रदेश	2	88	30	120
16.	महाराष्ट्र	2	34	-	36
17.	मणिपुर	-	-	4	4
18.	मेघालय	-	6	-	6
19.	मिजोरम	8	6	-	14
20.	नागालैंड	-	10	-	10
21.	ओडिशा	-	96	65	161
22.	पुडुचेरी	-	6	2	8
23.	पंजाब	-	21	-	21
24.	राजस्थान	-	22	10	32
25.	सिक्किम	-	-	5	5
26.	तमिलनाडु	2	269	78	349
27.	तेलंगाना	-	45	92	137
28.	त्रिपुरा	-	2	4	6
29.	उत्तर प्रदेश	-	80	65	145
30.	उत्तराखंड	-	20	5	25
31.	पश्चिम बंगाल	2	49	153	204
	कुल योग	18	1092	782	1892